कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 02/2023–24

पत्रांकः– 218 /औरंगाबाद, दिनांकः– 13/02/2024

कार्य का विवरण :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (नही लौटने योग्य)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर कोयल नहर शिविर औरंगाबाद में अवस्थित ई0 टाइप आवास सं0 07,08,09 एवं 10 का मरम्मति कार्य।	4.50	9000.00	750.00	12.03.2024
2.	उत्तर कोयल नहर शिविर औरंगाबाद में अवस्थित झण्डोलन स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मति कार्य।	4.50	9000.00	750.00	12.03.2024
3.	उत्तर कोयल नहर शिविर औरंगाबाद में अवस्थित संयुक्त कार्यालय,योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल,औरंगाबाद का कार्यालय, अधीक्षण अभियंता आवास एवं मुख्य अभियंता आवास का मरम्मति कार्य।	4.50	9000.00	750.00	12.03.2024

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक 13.02.2024
3. विभाग का नाम : जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।
4. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम और पता : कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।
5. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.02.2024से20.02.2024(03.00 अप्राहन तक)
6. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 21.02.2024 को 03:00बजेअपराह्नन तक
7. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 21.02.2024 .को 3.30 बजे अपराहन् में।
8. वित्तीय निविदा संलेख खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड स्वीकृति के पश्चात तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी।
9. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (क) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद।
   (ख) अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद।
   (ग) कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।
10. तकनीकी निविदा खोलने का स्थान : क्रमांक 4 में वर्णित कार्यालय में।
11. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन।

निविदा के नियमों एवं शर्तों की जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा परिमाण विपत्र के बिक्री की स्थलों पर सम्पर्क किया जा सकता है।साथ ही विस्तृत जानकारी विभागीय वेवसाईट www.wrdbihar .gov.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-
(ई0 अजय कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
औरंगाबाद।
मो0 नं0–7463889720

C:\Users\wcsc\Desktop\work 2023-24\NIT=2023-24 A.doc

निविदा के नियम एवं शर्तेः–

1. निविदादाता को औरंगाबाद जिला अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से समुचित श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक है। तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को जी0 एस0 टी0 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है एवं निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नही जायेगा, कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से ड्राफ्ट के रूप में निर्गत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, औरंगाबाद में भुगतेय हो। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि प्राप्त कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट (मूल में) कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के कार्यालय में परिमाण विपत्र खरीदते समय जमा किया जाना आवश्यक होगा।

4 अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित कराना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर सावधि जमा पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 1/2/3 वर्षीय के रूप में (मूल में) जमा करना होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि का दो प्रतिशत होगा (सौ के गुणक में)।

5 अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र (छः माह के अन्दर का) उस जिले के पुलिस पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। पार्टनरशीप एवं कम्पनी के मामलें में क्रमशः प्राईम पार्टनर का आचरण प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

6 संवेदक या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हीं परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।

7 आवंटन उपलब्ध होने पर हीं भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

8 संवेदक द्वारा विविध कार्यो के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–02 पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–ए0–21 नियम 08/92–6113 (ए) दिनांक–18.01.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ–02 की कंडिका 23 को विलोपित माना जायेगा।

9 यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

10 कार्य की प्राकलित राशि घट–बढ सकती है। अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।

11 निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दुसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिए तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में समुचित श्रेणी में निबंधित, वस्तु एवं सेवा कर निबंधन संख्या, पैन नंबर, चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति तथा वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं शब्द दोनों में) जमा करना होगा।

12 निविदादाता को पार्टनरशीप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएसन/पावर ऑफ एटर्नी/औथरीटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकतानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

13 निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

14 जिन निविदादाताओ को कार्य आवंटित होगा उन्हे तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रदद् करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। समय वृद्धि देय नहीं होगी।

15 निविदा में संवेदक द्वारा निविदत दर विभागीय पत्रांक 915 दिनांक 24.12.2022 में शर्तो के अनुरूप मान्य होगा।

16 निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्राक्कलित एवं कार्य संपादन में आनेवाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा संपादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य संपादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होगें।

17 कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रीयों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक को होगा।

18 वस्तु सेवा कर, आयकर एवं श्रम कल्याण निधि (लेबर सेंस) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

19 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

20 एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यून्तम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

21 जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 के अनुपालन में एम एन प्रक्रिया के तहत Royalty/Seigniorage Fee (मालिकाना फीस) की कटौती की जायेगी।

22 जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–50, दिनांक–20.01.2020, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना का अधिसूचना संख्या–447 (S) दिनांक–16.01.2020 एवं पत्रांक–449, (S) दिनांक–16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा प्रति में निविदा दर की न्यूतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

23 निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।जो निविदा आमंत्रण तिथि से निर्गत हो।

" I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".

(ई0 अजय कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
औरंगाबाद।
मो0 नं0–7463889720

पत्रांकः– 218 /औरंगाबाद, दिनांकः– 13/02/2024

प्रतिलिपि :– जन–संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग बिहार पटना को सूचना की एक प्रति हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु समर्पित।

13/2/24

(ई0 अजय कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल,
औरंगाबाद
मो0 नं0–7463889720

13/2/24